भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3561

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ियों का उन्नयन

3561. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

श्री यदुवीर वाडियारः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल और कर्नाटक में बेहतर बुनियादी ढांचे और सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आंगनवाड़ियों को डिजिटल शिक्षण सुविधाओं, बच्चों के अनुकूल बुनियादी ढांचे और स्वच्छ सुविधाओं से लैस करने के लिए कोई विशिष्ट योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल में पोषण अभियान के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ङ) कर्नाटक के मैसूर जिले में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और आईसीडीएस सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या कोडगु के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के

रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बीएएलए पेंटिंग प्रदान करके पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से पांच वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 50000 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण किया जाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे।

शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृत इकाई लागत 36000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र तथा पेयजल व्यवस्था के लिए स्वीकृत लागत 17000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है जिसे केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार वहन करेंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त अवसंरचना के बिना किराए पर चल रहे ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां स्थान उपलब्ध हो।

सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत करने, मनरेगा के तहत निर्माण के उद्देश्य से तथा शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के माध्यम से पोषण भी पढाई भी कार्यान्वित कर रहा है। पीबीपीबी केरल सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 5 दिवसीय व्यक्तिगत प्रशिक्षण (राउंड 1 में 3 दिन और राउंड 2, 2023-26 में 2 दिन) प्रदान करने की एक अग्रणी राष्ट्रीय पहल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दो महत्वपूर्ण दस्तावेज पीबीपीबी के इस प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करते हैं। नवचेतना - राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन ढांचा, 2024 का उद्देश्य 36 महीने के उत्प्रेरण गतिविधि कैलेंडर के रूप में 140 आयु-विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से जन्म से तीन साल तक के बच्चों का समग्र विकास करना है। दूसरा दस्तावेज है आधारशिला, जो तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम है, जिसमें 130 से अधिक गतिविधियां शामिल हैं जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह बच्चों और शिक्षकों के नेतृत्व में सीखने को बढ़ावा देती हैं।

टियर-I: बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ), पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों सहित लगभग 40,000 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (एसएलएमटी) को निपसिड में दो दिवसीय हाइब्रिड प्रशिक्षण (ऑनलाइन और ऑफलाइन) दिया जाता है।

टियर-II: लगभग 13.1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) तीन दिवसीय व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, जो दो चरणों में बंटा हुआ है:

16 मार्च, 2025 तक, 35 राज्यों के 782 जिलों में पोषण भी पढाई भी कार्यक्रमों के तहत 35,968 एसएलएमटी को प्रशिक्षित किया गया है और 31 राज्यों के 470 जिलों में 298,847 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। केरल में, 16 मार्च, 2025 तक 1494 एसएलएमटी और 10,355 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा, केरल राज्य सरकार अपने कोष से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को रोजगार प्रशिक्षण दे रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 420 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ): पोषण अभियान, समग्र पोषण की एक व्यापक योजना है जो बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए 8 मार्च 2018 को शुरू की गई प्रमुख योजना है। दिनांक 28.02.2025 तक पोषण अभियान के तहत केरल में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**बच्चे (0-6 माह)**	**बच्चे (6 माह-3 वर्ष)**	**बच्चे (3-6 वर्ष)**	**गर्भवती महिलाएं**	**स्तनपान कराने वाली माताएं**	**किशोरियां**	**कुल लाभार्थी**
1	86,693	7,13,605	8,77,109	1,12,454	89,240	17,847	18,96,948

(ङ) और (च): कर्नाटक के मैसूरु जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत पदों, भरे हुए और रिक्त पदों का ब्यौरा इस प्रकार है:

कर्मचारियों का विवरण	**स्वीकृत पद**	**भरे हुए**	**रिक्त**
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	2933	2879	54
आंगनवाड़ी सहायिकाएं	2830	2501	329

कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

इसके अलावा, कोडागू के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए कई लक्षित पहल की गई हैं, जो इन क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। कर्नाटक सरकार ने विभिन्न विभागों और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ मिलकर पोषण अभियान और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विशेष रूप से कोडागु में जनजातीय आबादी के लिए कार्यनीतियां कार्यान्वित की हैं।

पारंपरिक और स्वदेशी खाद्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना।

i. जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण अभियान
ii. मातृपूर्णा योजना: इस योजना के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 21 रुपये प्रति यूनिट की लागत पर प्रति भोजन 600 किलो कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 2022 से, कोडागु जिले सहित पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) के रूप में कच्चे खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं।
iii. क्षीरभाग्य योजना: इस योजना के तहत, आंगनवाड़ी आने वाले 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 150 मिली दूध दिया जाता है। गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) और मध्यम रूप से कुपोषित (एमएएम) बच्चों को सप्ताह में तीन दिन घर ले जाने वाले राशन के रूप में अतिरिक्त 20 ग्राम दूध पाउडर दिया जाता है।
iv. श्रुस्ति योजना: इस योजना के तहत, 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अंडे दिए जाते हैं। एसएएम और एमएएम बच्चों (6 महीने से 3 वर्ष) को सप्ताह में तीन दिन अंडे दिए जाते हैं। एसएएम और एमएएम बच्चों (3 से 6 वर्ष) को सप्ताह में पांच दिन अंडे दिए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ियों का उन्नयन" के संबंध में श्री कोडिकुन्निल सुरेश और श्री यदुवीर वाडियार द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3561 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

सक्षम आंगनवाड़ी के उन्नयन, मनरेगा के तहत निर्माण और शौचालय के निर्माण और पेयजल की व्यवस्था के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का विवरण:

लाख रुपये में

क्र. सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2022-23**				**वित्त वर्ष 2023-24**				**वित्त वर्ष 2024-25***			
		सक्षम आंगनवाड़ी	मनरेगा के तहत निर्माण	शौचालय का निर्माण	पेयजल	सक्षम आंगनवाड़ी	मनरेगा के तहत निर्माण	शौचालय का निर्माण	पेयजल	सक्षम आंगनवाड़ी	मनरेगा के तहत निर्माण	शौचालय का निर्माण	पेयजल
1	कर्नाटक	47.39	960	0	0	106.8	0	0	0	10485.01	1122	310.39	486.34
2	केरल	116.12	168	0	0	1026	0	2.16	0	0	0	0	0

*12.03.2025 तक

*****